इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 123] भोपाल, सोमवार, दिनांक 28 अप्रैल 2025—वैशाख 8, शक 1947

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2025

क्रमांक 994/TRP/8/0003/2025-Sec-1-08 मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, सीएनजी वाहनों को बढ़ावा देने के प्रयोजनार्थ, राज्य शासन, एतद्द्वारा, फेक्ट्री फिटेड सीएनजी किट युक्त समस्त नवीन वाहनों पर, जिनका सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सी जी डी) पॉलिसी, 2025 के क्रियान्वयन की दिनांक से एक वर्ष तक राज्य में पंजीयन किया जाए, उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के अधीन यथाविहित जीवनकाल मोटरयान कर की दर में 1% की छूट प्रदान करता है। जीवनकाल कर की लागू दर निम्न सारणी में उल्लिखित अनुसार होगी, अर्थात्:—

सारणी

अनुक्रमांक	वाहन प्रकार	मध्यप्रदेश मोटरयान छूट ब्यौरे
(1)	(2)	(3)
1.	मोटरसाइकिल तथा 12+1 तक बैठक क्षमता वाले गैर–परिवहन/परिवहन यान, जिनका मानक मूल्य रूपए 10 लाख से कम हो,—	यान के मानक मूल्य का 7%

2.	मोटरसाइकिल तथा 12+1 तक बैठक क्षमता वाले गैर–परिवहन/परिवहन यान, जिनका मानक मूल्य रूपए 10 लाख से तथा रूपए 20 लाख तक हो,–	यान के मानक मूल्य का 9%
3.	मोटरसाइकिल तथा 12+1 तक बैठक क्षमता वाले गैर–परिवहन/परिवहन यान, जिनका मानक मूल्य रूपए 20 लाख से अधिक है,–	यान के मानक मूल्य का 13%
4.	7500 किलोग्राम तक सकल यान भार वाले मालयान की पूरी तरह से निर्मित बॉडी/चेसीस के साथ मालयान	वाहन के मानक मूल्य का 7%
5.	7500 किलोग्राम से अधिक सकल यान भार वाले मालयान की पूरी तरह से निर्मित बॉडी/चेसीस के साथ मालयान	वाहन के मानक मूल्य का 4%
6.	इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट यानों के किसी भी वर्ग के अंतर्गत न आने वाले ऐसे समस्त अन्य नवीन मोटरयान	वाहन के मानक मूल्य का 9%

2. उक्त छूट ऐसे हाइब्रिड ईंधन स्त्रोत सहित वाहनों जिनमें सीएनजी भी एक है तथा सीएनजी किट के साथ रेट्रो–फिटमेंट कराए गए वाहनों पर लागू नहीं होगी।

No. **994/TRP/8/0003/2025-Sec-1-08** In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 21 of the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), the State Government, hereby, provides 1% exemption on lifetime motor vehicle tax, as prescribed under Second Schedule of the said Act on all new vehicles with factory-fitted CNG kit which are to be registered in the State within one year from the date of implementation of City Gas Distribution (CGD) Policy, 2025, for the purpose of promoting CNG vehicles. The applicable rate of lifetime tax shall be as mentioned in the table below, namely : -

TABLE

S. No.	Vehicle Segment	Madhya Pradesh motor vehicle tax exemption details
(1)	(2)	(3)
1.	Motorcycles and non-transport/ transport vehicles with seating capacity upto 12+1, having standard price less than Rs. 10 lakh	7% of the standard price of the vehicle
2.	Motorcycles and non-transport/ transport vehicles with seating capacity upto 12+1, having standard price from Rs. 10 lakh and upto Rs. 20 lakh	9% of the standard price of the vehicle
3.	Motorcycles and non-transport/ transport vehicles with seating capacity upto 12+1, having standard price exceeding Rs. 20 lakh	13% of the standard price of the vehicle
4.	Goods vehicles with completely built up body/chassis having gross vehicle weight upto 7500 kilograms	7% of the standard price of the vehicle
5.	Goods vehicles with completely built up body/chassis having gross vehicle weight exceeding 7500 kilograms	4% of the standard price of the vehicle
6.	All other new motor vehicles which do not fall in any of the categories in the said Schedule	9% of the standard price of the vehicle

2. The said exemption shall not be applicable on vehicles with hybrid fuel source in which CNG is one of them and vehicles retro-fitted with CNG kit.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष सिंह, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2025.